प्रकरण संख्या:– 79/2024

शंकर पुत्र गोपाल बनाम कंकू पुत्री रामा व अन्य

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
8/9/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्तागण उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु वादी अधिवक्ता द्वारा गत पेशी दिनांक 07.08.2025 को अपनी सहमती आदेशिका पर अंकित कर दी गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अनुपस्थित। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.01.2025 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से का कब्जे काश्त अनुसार पारित की गई थी तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को हक हिस्से, कब्जे एवं मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 06.02.2025 तक प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 27.01.2025 की पालना में प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.06.2025 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक 1313 दिनांक 05.06.2025 से सूचना पत्र समस्त पक्षकारान् को जारी किया गया। सूचना पत्र पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के स्वयं के हस्ताक्षर है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव में मौके पर वादी, प्रतिवादी संख्या 02 व 03 स्वयं उपस्थित रहे। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर उक्त पक्षकारान् के उपस्थित होने एवं विभाजन प्रस्ताव पर समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की अनुपालना में अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 8/9/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	